न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी – रणछोड़ लाल, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन सं. 313/2024
अन्तर्गत धारा 111,128 आर.एल.आर.एक्ट

सलीम बनाम इजता व अन्य

प्रार्थी वकील – श्री मीठू खान समेजा
विप्रार्थी सं. 6 वकील – श्री विकमसिंह भाटी

–:: **निर्णय** ::–

दिनांक – 18.03.2026

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि उसकी खातेदारी का खेत मौजा गौहड़ का तला में खसरा सं. 431/4 रकबा 3.1808 हैक्टेयर, पटवार क्षेत्र गोहड़ का तला, तहसील धनाऊ में स्थित है। प्रार्थी के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्रार्थी के खेत के पडोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाने का निवेदन किया है। प्रार्थी की दरखास्त दर्ज की। विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/रजि.नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी सं. 6 की ओर से अधिवक्ता श्री विकमसिंह भाटी द्वारा वकालतनामा व जवाब पेश किया। शेष विप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। विप्रार्थी सं. 6 की ओर अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में बताया कि प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के खेत गोहड़ का तला व अदरीम का तला की सीमा पर आये हुऐ है जहां पर दोनो ग्रमो के बीच ओवरलिपिंग की समस्या है। जब नेखमबंदी का आवेदन पेश किया तब पड़ौसी खसरे में रबी की फसल खड़ी होने व सरहद होने से विवाद की स्थिति थी। प्रार्थी द्वारा रबी की फसल कटने के बाद सीमाज्ञान करवाया जाना संभव है। प्रार्थी व विप्रार्थी सं. 6 के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के वक्त काश्त प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। चूंकि प्रार्थी विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकर्ड मे दर्ज होने के कारण प्रार्थी की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी की दरखास्त स्वीकार की जाकर विवादित भूमि मौजा गौहड़ का तला में खसरा सं. 431/4 रकबा 3.1808 हैक्टेयर, पटवार क्षेत्र गोहड़ का तला, तहसील धनाऊ की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार धनाऊ को रूपये 500/– फीस पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते है कि दोनो पक्षो के रूबरू विधिसम्मत तरीके से नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो। कमीश्नर को कमीश्नर फीस प्रार्थी मौके पर अदा करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 18.03.2026 को खुले न्यायालय में सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
(रणछोड़ लाल)
उपखण्ड अधिकारी चौहटन